तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25-7-23	पत्रावली पेश हुई उपस्थित अधिवक्ता उप. प्रा०पत्र O-8 R-1 CPC पर बहस सुनी। वादीगण ने [illegible] का [illegible] किया है। विपक्षी [illegible] आपत्ती प्रतिवादीगण को समयावधि [illegible] नहीं [illegible] वादी करने के बाद से [illegible] के विरुद्ध एक गया वाद के प्रतिवादीगण के [illegible] एक पक्षीय कार्यवाही हो के कोई जवाब आदि प्रस्तुत नहीं करने से प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से O-8 R-1 CPC स्वीकार किया जाता है। वाद-पत्र पर आदेश बहस उपस्थित अधिवक्ता वादी सुनी गई, बहस समाप्त पत्रावली [illegible] वास्ते आदेश पत्रावली आगामी दिनांक 27-7-23 को पेश हो। Sd/-
27-7-23	पत्रावली पेश हुई उपस्थित अधिवक्ता पक्ष. वाद-पत्र का आदेश निर्णय सुनाया गया वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया. पत्रावली कैफियत शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी कापरेन (बूंदी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी राज0

76 / दावा / 2008

पीठासीन अधिकारी

श्री राम कुमार वर्मा (RAS)

बउनवान

लटूर लाल आत्मज श्री रामनारायण जाति मीना निवासी रेबारपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 मृतक जर्ये कायम मुकाम–

1/1 गीता बाई बेवा लटूर लाल जाति मीना निवासी रेबारपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

1/2 भोजराज आत्मज श्री लटूर लाल जाति मीना निवासी रेबारपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

—वादीगण

बनाम

1. छोटा बाई पुत्री श्री शंकर जाति मीना निवासी रेबारपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।
2. मथुरा लाल पुत्र श्री गोपीराम जाति निवासी ग्राम रेबारपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 मृतक जर्ये कायम मुकामान।

   2/1 जगन्नाथी बेवा मथुरा लाल जाति मीना निवासी रेबारपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

   2/2 राजी बाई पुत्री मथुरा लाल जाति मीना निवासी गुढा सदावर्तिया तहसील नैंनवां जिला बून्दी राज0

   2/3 भरोसी बाई पुत्री मथुरा लाल जाति मीना निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील नैंनवां जिला बून्दी राजस्थान।
3. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

—प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 53,88, 89, 188 आर0टी0एक्ट

अधिवक्ता:— 1. श्री राजेन्द्र जैन एडवोकेट (वादी)

2. बालकिशन रायका एडवोकेट(प्रतिवादी)

निर्णय **दिनांक :— 27.07.2023**

वादी ने वाद–पत्र प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 88, 89,188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा संख्या 255 रकबा 0.05 हैक्ट., खसरा संख्या 257 रकबा 1.95 हैक्ट., खसरा संख्या 430 रकबा 0.25 हैक्ट., खसरा संख्या 431 रकबा .08 हैक्ट., खसरा संख्या 432 रकबा .12 हैक्ट., खसरा संख्या 433 रकबा 3.09 हैक्ट., खसरा संख्या 464 रकबा 1.29

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

हैक्ट., खसरा संख्या 471 रकबा 0.37 हैक्ट., खसरा संख्या 512 रकबा 1.0 हैक्ट., खसरा संख्या 513 रकबा 0.07 हैक्ट., खसरा संख्या 514 रकबा 1.84 हैक्ट., किता 11 कुल रकबा [illegible] हैक्ट., वाके ग्राम रेबारपुरा पटवार हल्का रेबारपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। वर्णित आराजी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के संयुक्त खाते में दर्ज है। प्रतिवादी क्रम 3 श्रीमति बादाम बाई पत्नी श्री काशीराम द्वारा गोबरी लाल मीणा निवासी ग्राम देहीखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी से नाता विवाह कर लिया है, किन्तु प्रतिवादीगण क्रम 3 का नाम स्वर्गीय श्री काशीराम की पूर्व पत्नी होने से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वाद वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी सम्पत्ति है। प्रतिवादी क्रम 3 अन्यत्र नाते चले जाने से वाद–पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि प्रतिवादी क्रम 3 का अधिकार कतई नहीं रहा है। वादी के पिता स्व0 श्री रामनारायण का देहान्त वादी के बाल्यकाल अवस्था में हो गया था वाद वर्णित आराजी के मूल खातेदार भागीरथ थे। उनके दो पुत्र गोप्या उर्फ गोपीराम व रामनारायण थे। वाद वर्णित आराजी को प्रतिवादी क्रम 2 के पिता प्रतिवादी क्रम 1 के पितामह एवं प्रतिवादी क्रम 3 के ससुर स्व0 श्री गोपीराम द्वारा उक्त आराजी स्वयं के नाम दर्ज करवा ली, जबकि वाद वर्णित आराजी में वादी के पिता स्व0 श्री रामनारायण का भी हिस्सा 1/2 निहित था।

प्रतिवादी संख्या 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 के पितामह प्रतिवादी संख्या 3 के ससुर श्री गोपीराम आ0 भागीरथ द्वारा वादी के स्वत्व एवं अधिकारों को स्वीकार करते हुए एक तहरीर 1.07.1971 को रूबरू गवाहन निष्पादित की गई थी जिसमें गोप्या उर्फ गोपीलाल वल्द भागीरथ मीणा साकिन रेबारपुरा द्वारा अंकित किया गया था कि मेरे सगे भाई रामनारायण का सुलभी पुत्र लदूर मीणा मौजूद है। मेरे भाई का स्वर्गवास होने से पूर्व ही बंटवारा कर दिया गया था। जिसमें खसरा संख्या 211 में रकबा 19 बीघा 9 बिस्वा में से 6 बीघा भूमि एवं खसरा संख्या 180 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा का पूरा खेत तथा कुण्डली खसरा 73/2 रकबा 13 बीघा कुल कृषि भूमि 27 बीघा 7 बिस्वा मेरे छोटे भाई के हिस्से की जमीन है। उक्त भूमि पर मेरे वारिसान किसी प्रकार का उज्र नहीं करेंगे। 01.07.1971 को निष्पादित तहरीर अनुसार वादी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। पुश्तैनी कृषि भूमि होने से उक्त कृषि भूमि पर वादी को खातेदार दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 द्वारा वाद वर्णित आराजी का विभाजन कराने हेतु एवं वादी को उसके अधिकारों से वंचित करने का 1 वाद न्यायालय हाजा में षड़यंत्रपुर्वक प्रस्तुत किया हुआ है। वादी का कानूनन अधिकार होने से वादी को पक्षकार भी नहीं बनाया गया। वाद वर्णित आराजी पैतृक होने वादी को प्राप्त हिस्सा कब्जा काश्त होने से वादी को अधिकार प्राप्त है कि वाद वर्णित भूमि में स्वयं को खातेदार घोषित कराकर तदनानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करावें। प्रतिवादीगण वाद वर्णित आराजी में वादी के हिस्से की भूमि से बेदखल करने की धमकी देते हैं और अंत में निवेदन किया कि वर्णित आराजी में से दिनांक 01.07.1971 को निष्पादित तहरीर में वर्णित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे

उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन नहीं —

Scanned with CamScanner

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थी के कब्जे काश्त में न तो कब्जा करें, न ही किसी प्रकार की बेदखली करें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया दिनांक 25.09.2008 प्रतिवादी संख्या 1 की और से अंडरटेकिंग दी गई प्रतिवादी संख्या 3 स्वयं उपस्थित दिनांक 19.11.2008 प्रतिवादी संख्या 1 व 3 अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 26.03.2009 को प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से वकालतनामा के साथ एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया। इसको स्वीकार किया जाकर जबाव देने हेतु समुचित अवसर एवं कॉस्ट पर अवसर दिये जाने पर भी प्रतिवादी संख्या 3 की तरफ से कोई जबाव दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर जबाव दावा बंद कर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा दिनांक 25.11.2020 को प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 7 जा0दी0 पेश किया गया। जो लम्बी अवधि में प्रस्तुत करने से प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता को अन्तिम बहस में बहस करने का अवसर दिया गया।

वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में खसरा बंदोबस्त 1935–36 ग्राम रेबारपुरा प्रदर्श 1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2023 से 2026 प्रदर्श 2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2015 से 2018 प्रदर्श 3, नकल जमाबंदी 2061 से 2064 प्रदर्श 4, नकल जमाबंदी 2061 से 2064 प्रदर्श 5, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 6 और पारिवारिक बंटवारा दिनांक 01. 07.1971 प्रदर्श 7 पेश किए हैं। मौखिक साक्ष्य में वादी का स्वयं का पीडब्ल्यू 1 साक्ष्य शपथ पत्र व गवाह पीडब्ल्यू 2 अलानूर का साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किया है।

हमारे द्वारा विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस सुनी गई वादी के अधिवक्ता ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद वर्णित आराजी वादी के दादा भागीरथ की पैतृक सम्पत्ति थी किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 के पितामह व प्रतिवादी संख्या 3 के ससुर स्व0 श्री गोपीराम द्वारा उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करा ली गई, जबकि वादी के पिता व स्व0 श्री गोपीराम सगे भाई व भागीरथ के पुत्र थे। वाद वर्णित भूमि में वादी के पिता का हिस्सा दर्ज नहीं किया गया और दिनांक 01.07.1971 को निष्पादित पारिवारिक बंटवारा अनुसार वादी को वर्णित आराजी में से भूमि संभलाई गई। उसी अनुसार वादी कब्जा काश्त चला आ रहा है। पारिवारिक बंटवारा अनुसार वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कर कथन किया कि पारिवारिक बंटवारे के सत्यापन हेतु कोई गवाह पेश नहीं किये गये। रामनारायण, लालू आत्मज गुलाब निवासी झाली जी के बराना के गोद गये थे इसलिए उनका कोई हक अधिकार नहीं बनता है। अतः वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कापरेन (बून्दी)

Scanned with CamScanner

रामनारायण जी. लालु आत्मज गुलाब मीणा निवासी झाली जी का बराना के गोद गये इससे यह सिद्ध होता है कि रामनारायण आत्मज भागीरथ मूल खातेदार भागीरथ का [illegible]। पैतृक सम्पत्ति में प्रत्येक सदस्य का कानूनन हिस्सा होता है। प्रतिवादीगण द्वारा इसके का कोई खण्डनात्मक जवाब प्रस्तुत नही किया गया और न ही कोई ऐसे साक्ष्य सबूत पेश नही किये गये जो यह सिद्ध कर सके कि रामनारायण मूल खातेदार भागीरथ का पुत्र नहीं था। ऐसी स्थिति में निष्पादित पारिवारिक बंटवारा अनुसार एवं वादी कब्जा काश्त होने विवादित आराजी पैतृक होने से वादी का वाद–पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेश दिया जाता है कि वाद वर्णित आराजी जिसके पुराने खसरा संख्या 211 में रकबा 19 बीघा 9 बिस्वा में से 6 बीघा भूमि एवं खसरा संख्या 180 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा का पूरा खेत तथा कुण्डली खसरा 73/2 रकबा 13 बीघा कुल कृषि भूमि 27 बीघा 7 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा संख्या 464 रकबा 1.29 हैक्ट., खसरा संख्या 255 रकबा 0.05 हैक्ट., खसरा संख्या 512 रकबा 1.00 हैक्ट., खसरा संख्या 514 रकबा 1.84 हैक्ट. खसरा किता 4 योग रकबा 4.18 हैक्ट. वाके ग्राम रेबारपुरा तहसील इन्द्रगढ़ स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादीगण के नाम विलोपित किये जाकर उनके स्थान पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण के हिस्से में आई कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करें एवं भूमि के उपयोग/उपभोग में कोई व्यवधान उत्पन्न न करें। तदनानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शूमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

डिकी ब मुकदमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी............................ मुकाम.......................लाखेरी.................व
इजलास......................श्री रामकुमार वर्मा (आर. ए. एस.)..

1 लदूर लाल आत्मज श्री रामनारायण जा0 मीणा नि0रेबारपुरा तह0 इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 मृतक जर्ये कायम मुकाम--
1/1 गीता बाई बेवा लदूर लाल जा0 मीना नि0 रेबारपुरा तह0 इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
1/2 भोजराज आ0 श्री लदूर लाल जा0 नि0 रेबारपुरा तह0 इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

(वादीगण)

बनाम

1 छोटा बाई पुत्री श्री शंकर जा0 मीना नि0 रेबारपुरा तह0 इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
2 मथुरा लाल पुत्र श्री गोपीराम जा0 मीना नि0 रेबारपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
2/1 जगन्नाथी बाई बेवा मथुरा लाल जा0 मीना निवासी रेबारपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
2/2 राजी बाई पुत्री मथुरा लाल जा0 मीना नि0 गुढ़ा सदावर्तिया तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
2/3 भरोसी बाई पुत्री मथुरा लाल जा0 मीना निवासी श्योपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
3 राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत 53,88,89,188 आर0टी0एक्ट।.....................

....

मुकदमा नम्बर.................................76/दावा/2008..सन...यह
मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू...हमरे...व हाजिरी
1.श्री राजेन्द्र जैन एडवोकेट(वादी).. मिनजानिब मुद्दइ.2. बालकिशन रायका एडवोकेट(प्रतिवादी)....................
....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेश दिया जाता है कि वाद वर्णित आराजी जिसके पुराने खसरा संख्या 211 में रकबा 19 बीघा 9 बिस्वा में से 6 बीघा भूमि एवं खसरा संख्या 180 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा का पूरा खेत तथा कुण्डली खसरा 73/2 रकबा 13 बीघा कुल कृषि भूमि 27 बीघा 7 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा संख्या 464 रकबा 1.29 हैक्ट., खसरा संख्या 255 रकबा 0.05 हैक्ट., खसरा संख्या 512 रकबा 1.00 हैक्ट., खसरा संख्या 514 रकबा 1.84 हैक्ट. खसरा किता 4 योग रकबा 4.18 हैक्ट. वाके ग्राम रेबारपुरा तहसील इन्द्रगढ़ स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादीगण के नाम विलोपित किये जाकर उनके स्थान पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण के हिस्से में आई कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करें एवं भूमि के उपयोग/उपभोग में कोई व्यवधान उत्पन्न न करें। ....
..................................निज...............................मुबलिग...बाबत..................खर्चा इन मुकदमें के मय सूद बशरह ..
....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का
अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..27....माह.......07........ सन..2023..................को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर ओहदा

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायलह	रुपया	पैसे
1 स्टाम्प अर्जीदावा			1 स्टाम्प अर्जीदावा		
2 स्टाम्प वकालतनामा			2 स्टाम्प अर्जी		
3 स्टाम्प वजह सबूत			3 महनताना वकील		
4 महनताना वकील			4 खर्चा गवाहान		
5 खर्चा गवाहान			5 फीस कमिश्नर		
6 फीस कमिश्नर			6 बाबत इजराय हुक्मनामा		
7 बाबत इजराय हुक्मनामा			7 मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिग्री के अंदर दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner